तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 62/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– राजपुरा, पोस्ट–बालदा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा, पोस्ट– बाल्दा, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 13.12.2023 को फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा, पोस्ट–बालदा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2273 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:221F/FSSA/2024 दिनांक 02.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 24.12.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मावा का नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर एवं विधिवत सम्पन्न नही की गई है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 13.12.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा, पोस्ट बालदा, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी, जाति– देवासी, निवासी–राजपुरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर एक फ्रीजर में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 40 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार को गवाह श्री ....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 62/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के सक्षम प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दुकान के अन्दर फ्रीजर में रखे हुए खाद्य पदार्थ मावा (दूध, चीन से निर्मित) में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 560/– (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को हिलामिलाकर एकरुप करके चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों नमूना शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2273, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2273 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार व गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 15.12.2023 को श्री मनीष पाल, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 13.12.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा, पोस्ट–बालदा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रम ......लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. विशष्ट प्रतिलिपिक
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 62/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कुमार से खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2273, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./3139/Act/2023/3180** दिनांक 26.12.2023 में असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2273 की रेफरल लेब से जांच हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2273 को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:**221F/FSSA/2024** दिनांक 02.5.2024 में खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2273 अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2273) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– राजपुरा, पोस्ट–बालदा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म न्यू आशापुरा किराणा स्टोर, राजपुरा, पोस्ट– बाल्दा, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी विक्रम कुमार पुत्र सदाराम जी देवासी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.02..2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001